

**Agreement between
The Government of the Republic of India
And The Government of the Kingdom of Saudi Arabia
On the Mutual Exemption of Short Stay Visa Requirements for
Holders of Diplomatic, Special and Official Passports**

The Government of India and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia (hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties");

Considering the special relations between the two countries, their efforts to enhance the bilateral relations between the two countries, and their mutual desire to facilitate the process of mobility for the nationals who are holders of diplomatic, official or special passports of the two countries in accordance with the principle of reciprocity;

Have agreed as follows:

Article 1

Citizens of either Party holding a valid Diplomatic or Special Passports (for Saudi nationals) or Diplomatic or Official passports (for Indian nationals), may enter, exit from and transit through the territory of the other contracting Party without a visa, for a continuous stay or multiple stays not exceeding ninety (90) days in a period of one hundred and eighty (180) days from the date of entry, provided that they shall not take up any employment, be it self-employment, or any private commercial activity, in the receiving party.

Article 2

1. Citizens of either Party holding a valid Diplomatic or Special Passports (for Saudi nationals) or Diplomatic or Official passports (for Indian nationals), shall obtain a visa prior to entry into the territory of the other Party if the stay or multiple stays is to exceed the period mentioned in Article 1 of this Agreement.

2. Citizens of either Party holding a valid Diplomatic or Special Passports (for Saudi nationals) or Diplomatic or Official passports (for Indian nationals) is assigned as a member of the diplomatic or consular staff in Mission/Posts or as representative of his/her country in an international organization located in the territory of the other party and is in possession of a valid Diplomatic/Special/Official passports shall be required to obtain a visa prior to entry into the territory of the other party.

3. The conditions enumerated in paragraph 2 of this article shall also apply to the spouse of a member of the diplomatic mission or consulate or representative in international organization, their children and their dependent parents.

Article 3

Each Party reserves the right to refuse the entry into, or shorten the stay in its territory, of any citizen of the other Party, whom it may consider undesirable.

Article 4

Citizens of either Party entering the other country shall, in accordance with provisions of Article 1, in the event of loss, damage or theft of their passport, inform the competent authorities of the host country. The accredited diplomatic mission shall secure a temporary passport or travel documents according to the domestic legislations of each Party.

Article 5

Citizens of either Party entering the other country shall, in accordance with provisions of Article 1, adhere to respect national laws and regulations in the territory of the host country during their stay. Nothing in the Agreement shall be construed as affecting the rights and obligations set out in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 or the Vienna Convention on Consular Relations of 1963.

Article 6

The duration of diplomatic, special or official passports of citizens of either Party shall be valid for at least 6 (six) months on the date of entry into the territory of the other Party.

Article 7

The provisions of Article 1 of this Agreement shall not apply to the Indian citizens arriving in the Kingdom of Saudi Arabia for the purposes of performing Hajj or Umrah; they shall obtain a visa issued specifically for such purposes.

Article 8

The Parties shall inform each other through diplomatic channels in regards to citizens arriving on an official visit prior to their arrival in either country.

Article 9

1. The competent authorities of the Parties shall exchange, through diplomatic channels, samples of their valid diplomatic, official or special passports, no later than thirty (30) days after the signing of this Agreement.
2. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, samples of any new or amended forms of their passports referred to in paragraph 1 of this Article. Each Party shall inform the other Party of any amendment concerning the form of such passports, and the terms of their issuance or use as far as possible at least sixty (60) days before the date of the amendment.

Article 10

The Parties shall ensure that the information and documents exchanged between them in accordance with this Agreement are exclusively used for the purposes assigned to them. Such information and documents shall not be transferred to any third party without the written consent of the Party concerned.

Article 11

Each Party reserves the right to immediately suspend the implementation of this Agreement in whole or in part for reasons of national security, public order or public health. Such suspension shall enter into force upon written notification to the other Party through diplomatic channels. The implementation of this Agreement may be reinstated by the mutual written consent of the Parties. The suspension shall not affect the rights of citizens who have already entered the territory of the other Party.

Article 12

Either Contracting Party may request in writing, through diplomatic channels, a revision or amendment of the whole or part of this Agreement. Any revision or amendment, which has been agreed to by the Contracting Parties, shall come into effect on a date to be mutually agreed upon and shall accordingly form part of this Agreement.

Article 13

The Parties shall settle any dispute arising between them on the interpretation or implementation of this Agreement by consultation through diplomatic channels in an amicable manner, in order to serve their common interests. No dispute between the Parties shall be submitted for settlement to any court, authority or other entity.

Article 14

1. The Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels of the completion of their necessary internal procedures required for the entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force after (30) days from the date of receipt of the last notification.

2. This Agreement shall be valid for five (5) years and shall be automatically renewed for successive five-year periods, unless either Party provides the other Party with a written notice through Diplomatic channel about their willingness to terminate or not renew this Agreement at least 6 months prior to its expiration date, which shall enter into force ninety (90) days after the date of such notification. The termination shall not affect the rights of citizens who have already entered the territory of the other Party.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Riyadh on 17/12/2025, corresponding to 26/6/1447H, in two original copies, in the Hindi, Arabic and English languages, all text being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
REPUBLIC OF INDIA**

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA**

**Dr. Suhel Ajaz Khan
Ambassador of India to the
Kingdom of Saudi Arabia**

**Abdulmajeed bin Rashed Alsmari
Deputy Minister for Protocol Affairs
Ministry of Foreign Affairs**

**राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए
अल्पकालिक प्रवास वीजा आवश्यकताओं की पारस्परिक छूट पर
भारत गणराज्य की सरकार
और
सऊदी अरब अधिराज्य की सरकार
के बीच अनुबंध**

भारत की सरकार और सऊदी अरब अधिराज्य की सरकार (जिन्हें इसके बाद व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्षकार" कहा जाएगा);

दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के उनके प्रयासों, तथा पारस्परिकता के सिद्धांत के अनुसार दोनों देशों के राजनयिक, आधिकारिक या विशेष पासपोर्ट धारक नागरिकों के लिए आवागमन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की उनकी पारस्परिक इच्छा पर विचार करते हुए;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

किसी भी पक्ष के नागरिक जिनके पास वैध राजनयिक या विशेष पासपोर्ट (सऊदी नागरिकों के लिए) या राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट (भारतीय नागरिकों के लिए) हैं, वे प्रवेश की तारीख से एक सौ अस्सी (180) दिनों की अवधि में नब्बे (90) दिनों से अधिक नहीं के निरंतर प्रवास या एक से अधिक प्रवास के लिए, बिना वीजा के दूसरे अनुबंधकारी पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, वहां से निकल सकते हैं और वहां से होकर गुजर सकते हैं, बशर्ते वे प्राप्तकर्ता पक्ष में कोई रोजगार, चाहे वह स्वरोजगार हो या कोई निजी वाणिज्यिक गतिविधि, न करें।

अनुच्छेद 2

1. किसी भी पक्ष के नागरिक जिनके पास वैध राजनयिक या विशेष पासपोर्ट (सऊदी नागरिकों के लिए) या राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट (भारतीय नागरिकों के लिए) हैं, उन्हें दूसरे पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले वीजा प्राप्त करना होगा, यदि प्रवास या एक से अधिक प्रवास इस करार के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित अवधि से अधिक हो।

2. किसी भी पक्ष के नागरिक के पास वैध राजनयिक या विशेष पासपोर्ट (भारतीय नागरिकों के लिए) या राजनयिक या आधिकारिक पासपोर्ट (भारतीय नागरिकों के लिए) हो, उसे मिशन/केंद्र में राजनयिक या कांसुलर स्टाफ के सदस्य के रूप में या दूसरे पक्ष के क्षेत्र में स्थित किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो और उसके पास वैध राजनयिक/विशेष/आधिकारिक पासपोर्ट हो, तो उन्हें अन्य पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एक वीजा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित शर्तें, किसी राजनयिक मिशन के सदस्य या अंतरराष्ट्रीय संगठन में प्रतिनिधि के पति/पत्नी, बच्चों और उनके आश्रित माता-पिता पर लागू होती हैं।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक पक्ष को दूसरे पक्ष के किसी भी नागरिक को अपने क्षेत्र में प्रवेश देने से मना करने या उसके प्रवास को छोटा करने का अधिकार है, जिसे वह अवांछनीय समझता हो।

अनुच्छेद 4

अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी पक्ष के नागरिक, जो दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, अपने पासपोर्ट के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में, मेजबान देश के सक्षम प्राधिकारियों को सूचित करेंगे। मान्यता प्राप्त राजनयिक मिशन, प्रत्येक पक्ष के घरेलू कानूनों के अनुसार, एक अस्थायी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज प्राप्त करेगा।

अनुच्छेद 5

किसी भी पक्षकार के नागरिक, जो दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के अनुसार, अपने प्रवास के दौरान मेजबान देश के क्षेत्र में राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का पालन करेंगे। करार में किसी भी बात को 1961 के वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस या 1963 के वियना कन्वेंशन ऑन कांसुलर रिलेशंस में निर्धारित अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद 6

किसी भी पक्ष के नागरिकों के राजनयिक, विशेष या आधिकारिक पासपोर्ट की अवधि दूसरे पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश की तिथि से कम से कम 6 (छह) महीने के लिए वैध होगी।

अनुच्छेद 7

इस करार के अनुच्छेद 1 के प्रावधान हज या उमराह करने के उद्देश्य से सऊदी अरब में आने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होंगे; उन्हें ऐसे उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से जारी किया गया वीजा प्राप्त करना होगा।

अनुच्छेद 8

पक्षकार, किसी भी देश में आगमन से पहले आधिकारिक यात्रा पर आने वाले नागरिकों के संबंध में राजनयिक माध्यमों से एक-दूसरे को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 9

1. पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी राजनयिक माध्यमों से, इस करार पर हस्ताक्षर करने के तीस (30) दिनों के भीतर अपने वैध राजनयिक, आधिकारिक या विशेष पासपोर्ट के नमूनों का आदान-प्रदान करेंगे।
2. पक्षकार राजनयिक माध्यम से इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट अपने पासपोर्ट के किसी भी नए या संशोधित प्रारूप के नमूनों का आदान-प्रदान करेंगे। प्रत्येक पक्ष ऐसे पासपोर्ट के प्रारूप से संबंधित किसी भी संशोधन तथा उनके जारी करने या उपयोग की शर्तों के बारे में यथासंभव संशोधन की तारीख से कम से कम साठ (60) दिन पहले दूसरे पक्ष को सूचित करेगा।

अनुच्छेद 10

पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि इस करार के अनुसार उनके बीच आदान-प्रदान की गई जानकारी और दस्तावेजों का उपयोग केवल उन्हें सौंपे गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाए। संबंधित पक्ष की लिखित सहमति के बिना ऐसी जानकारी और दस्तावेज किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किए जाएंगे।

अनुच्छेद 11

प्रत्येक पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या जन स्वास्थ्य के कारणों से इस करार के कार्यान्वयन को पूर्णतः या आंशिक रूप से तत्काल निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह निलंबन राजनयिक माध्यमों से दूसरे पक्ष को लिखित सूचना दिए जाने पर लागू होगा। इस करार का कार्यान्वयन पक्षों की आपसी लिखित सहमति से पुनः बहाल किया जा सकता है। निलंबन उन नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले ही दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं।

अनुच्छेद 12

कोई भी संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यम से लिखित रूप में इस करार के सम्पूर्ण या आंशिक भाग में सुधार या संशोधन का अनुरोध कर सकता है।

कोई भी संशोधन या सुधार, जिस पर संविदाकारी पक्षकारों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, पारस्परिक रूप से सहमत तिथि से प्रभावी होगा और तदनुसार इस करार का हिस्सा होगा।

अनुच्छेद 13

पक्षकार अपने साझा हितों की पूर्ति के लिए इस करार की व्याख्या या कार्यान्वयन पर अपने बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को राजनयिक माध्यमों से परामर्श करके सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। पक्षकारों के बीच कोई भी विवाद किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण या अन्य संस्था के समक्ष निपटान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 14

1. पक्षकार इस करार के लागू होने के लिए आवश्यक आंतरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने की सूचना राजनयिक माध्यमों से एक-दूसरे को लिखित रूप में देंगे। यह करार अंतिम अधिसूचना प्राप्त होने की तिथि से (30) दिनों के बाद लागू होगा।
2. यह करार पाँच (5) वर्षों के लिए वैध होगा और अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए स्वतः नवीनीकृत हो जाएगा, जब तक कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार को समाप्त करने या नवीनीकृत न करने की अपनी इच्छा के बारे में राजनयिक माध्यम से लिखित सूचना इसकी समाप्ति तिथि से कम से कम 6 महीने पहले न दे, जो ऐसी अधिसूचना की तिथि के नब्बे (90) दिन बाद लागू होगी। इस समाप्ति का उन नागरिकों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पहले ही दूसरे पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं।

इसके साक्ष्य स्वरूप, नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं ने, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत अधिकृत होकर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।


हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं में, दो मूल प्रतियों में 17/12/2025 के अनुरूप दिनांक 26/6/1447H को रियाद में किया गया, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

कृते
भारत गणराज्य की सरकार



डॉ. सुहेल एजाज़ खान
भारत के राजदूत
सऊदी अरब अधिराज्य में

कृते
सऊदी अरब अधिराज्य की सरकार



अब्दुलमजीद बिन राशिद अल समारी
उप मंत्री, प्रोटोकॉल मामले,
विदेश मंत्रालय